

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान जयपुर

क्रमांक :- नर्सिंग/नर्स-1/नाम विलोपित/2019/

दिनांक:

—:आदेश:—

श्री रामचन्द्र यादव, नर्स प्रथम, ब्लाक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, थानागाजी, अलवर जिनकी जन्म तिथि 12.10.1963 एवं राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति दिनांक 22.01.1985 है का राज्य सेवा में रहते हुये दिनांक 18.05.2019 को मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप इनका नाम राज्य सेवा से दिनांक 18.05.2019 से विलोपित किया जाता है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि रामचन्द्र यादव के विरुद्ध मृत्यु दिनांक तक:—

1. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम- 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लंबित नहीं है।

-sd-
(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक :- नर्सिंग/नर्स-1/नाम विलोपित/2019/ 345

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक: 23.07.2019.

1. निदेशक, पेन्शन एवं पेन्शनर्स वेलफेयर विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन- जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर को उनके पत्र क्रमांक 1390 दिनांक 17.06.2019 के क्रम में।
4. श्रीमती सुशिला देवी पत्नी स्व. रामचन्द्र यादव, निवासी गर्ल्स स्कूल के पास वीपीओ थानागाजी, अलवर को सूचनार्थ। प्रभारी, डी.पी.सी अनुभाग, मुख्यालय।
5. प्रभारी सर्वर रुम, मुख्यालय को भेज कर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
6. प्रभारी, डी.पी.सी अनुभाग, मुख्यालय।
7. आदेश/निजी पत्रावली।

(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर